1780(E)
01/3/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 01/03/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत छपरा–मढ़ौरा पथ के Km 1(Part), 3(Part), 4th to 23 (Total 20.32) Km कार्य वर्ष 2006–07 के भुगतेय Claim, जिस पर मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग से अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. विषायांकित कार्य से संबंधित मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार(या0) उपभाग के ज्ञापांक–4163 दिनांक–20.12.2018 के माध्यम से प्राप्त संवेदक के Claim की जाँचोपरान्त अनुशंसा हेतु गठित समिति की दिनांक–17.12.2018 को आहुत बैठक की कार्यवाही के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य / योजना का नाम	:	पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत छपरा–मढ़ौरा पथ के Km 1(Part), 3(Part), 4th to 23 (Total 20.32) Km कार्य वर्ष 2006–07
2.2	वादी का नाम एवं पता	:	M/s Kumar Construction, डुमरी अड्डा, छपरा (छपरा।
2.3	वाद का प्रसंग	:	Reference Case 118/2010
2.4	Award की स्थिति	:	माननीय ट्रिब्यूनल के द्वारा दिनांक–16.03.2012 को घोषित की गई Award की राशि निम्न प्रकार है –

(1.) Award की मूल राशि		
(i) Security Deposite की राशि	:	₹18,13,377.00
(ii) Refund of Earnest Money की राशि	:	₹14,21,400.00
(iii) Claim of Payment towards Deduction for Extension of time की राशि	:	₹ 8,04,661.00
(iv) Penalty Amount	:	₹16,46,936.00
कुल		₹56,86,374.00 (A)
(2.) घोषित Award पर ब्याज की राशि Interest@10%from 15.04.2008 to 15.12.2018		₹60,65,466.00
(3.) Court Fee	:	₹ 23,507.00
कुल राशि	:	₹1,17,75,347.00

1/3/19

वादी द्वारा उक्त Award के भुगतान हेतु माननीय व्यवहार न्यायालय, पटना में Execution Case दायर किया गया है, जिसका Execution Case No.-15/2013 है।

पारित Award के विरूद्ध विभाग द्वारा Civil Revision No............/2013 दायर किया गया था, जिससे निर्णय वादी के पक्ष में हुआ है। तद्उपरान्त माननीय सर्वोच्य न्यायालय में भी सिविल अपील संख्या–1110/2015 विभाग की तरफ से दायर है।

Tribunal द्वारा घोषित की गई Award की राशि का सत्यापन एवं उक्त राशि पर दिनांक–15.12.2018 तक सूद की राशि की गणना कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, छपरा द्वारा किया गया है जो अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर द्वारा भी हस्ताक्षरित है। तद्नुसार पारित Award की कुल राशि (Court fee एवं सूद सहित) – ₹1,17,75,374.00 है।

सवेदक/वादी द्वारा शपथ पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि उच्चतम् न्यायालय में विभाग द्वारा दायर सिविल अपील 1110/2015 की वापसी 28.02.2019 तक करते हुए (i) Security Deposit की राशि – ₹18,33,377.00 (ii) Refund of Earnest Money की राशि – ₹14,21,400.00 (iii) Claim of Payment towards Deduction for Extension of time की राशि – ₹8,04,661.00 (iv) Penalty Amount – ₹16,46,936.00 की कुल राशि – ₹56,86,374.00 (A) का भुगतान 16.01.2019 तक कर दिया जाता है, तो उनके द्वारा सूद की राशि का दावा भविष्य में नहीं किया जायेगा।

तद्आलोक में समिति द्वारा संवेदक/वादी "मेसर्स कुमार कन्स्ट्रक्शन" के पारित Award की मूल राशि – ₹56,86,374.00 मात्र के भुगतान दिनांक–16.01.2019 तक करने एवं सिविल अपील संख्या–1110/2015 को 28.02.2019 तक वापस लेने की अनुशंसा की जाती है। इससे विभाग में ₹1,17,75,347.00 – ₹56,86,374.00 = ₹60,88,973.00 मात्रा की बचत होगी।

3. विभागीय निविदा समिति का निर्णयः

3.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के ज्ञापांक–4163(अनु0) दिनांक–20.12.2018 द्वारा प्राप्त Claim के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा पर विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मूलधन की कुल राशि ₹56,86,374.00 (छप्पन लाख छियासी हजार तीन सौ चौहत्तर रुपये) का भुगतान इस शर्त्त के साथ करने की कार्रवाई की जाय कि वादी संवेदक द्वारा दायर Execution Case को वापस ले लिया जायेगा।

3.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या–1110/2015 को वापस लेने की कार्रवाई वादी द्वारा Execution Case वापस लेने के उपरान्त की जाय।

3.3 समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्तावित निर्णय के संबंध में विधि विभाग का मंतव्य प्राप्त कर ली जाय।

3.4 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

01/03/19	01/03/19	1/3/19	1.3.19
(रामावतार साह) मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	(रजनीश कुमार) उप सचिव–सह– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0–6/मुक–145/2010 1780(E) पटना, दिनांक 01/3/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/3/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।